रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2000/चैत्र 28, 1922
No. 81] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2000/CHAITRA 28, 1922

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2000

सं. 1/2/98-प्रशासन-4(पी.जी.).—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनाधीन कानूनों, नियमों एवं विनियमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :—

(1)	श्री पी. एम. बक्शी, सेवानिवृत्त सदस्य-सचिव, विधि आयोग	अध्यक्ष
(2)	श्री आई. राममोहन राव, पूर्व प्रधान सूचना अधिकारी	सदस्य
(3)	श्री अरबिन्द घोष, वरिष्ठ पत्रकार एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के पूर्व विशेष संवाददाता	सदस्य
(4)	संयुक्त सचिव (एफ.)/संयुक्त सचिव (बी.)/संयुक्त सचिव (पी.)*	सदस्य
(5)	निदेशक (प्रशासन)/ उप सचिव (प्रशासन)	सदस्य-सचिव

* विचारार्थ कानून/नियम/विनियम के आधार पर संबंधित संयुक्त सचिव भाग लेंगे।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

(1) देश में सूचना, प्रसारण तथा फिल्म क्षेत्र का अध्ययन करना और संबंधित क्षेत्र को संचालित करने हेतु विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों के संदर्भ में उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करना।

(2) उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना जहां विधान/विनियमन अपेक्षित है और जो विद्यमान नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(3) इन क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित कानूनों, नियमों एवं विनियमों एवं उनके तर्काधार से संबंधित सिफारिशें करना।

(4) निम्नलिखित कार्यों हेतु विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना :—

(क) अप्रयुक्त प्रावधानों का पता लगाना।

(ख) उन प्रावधानों का पता लगाना जिन्हें बदलते समय के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक है।

(ग) कानूनों, नियमों एवं विनियमों में प्रस्तावित अपेक्षित संशोधनों के संबंध में सिफारिशें करना।

3. समिति को अपनी रिपोर्ट, इसकी प्रथम बैठक के छह महीने के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

4. समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

5. अध्यक्ष तथा सदस्यों को निम्नानुसार एकमुश्त पारिश्रमिक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है :—

अध्यक्ष : 30,000 रुपये

गैर सरकारी सदस्य : प्रत्येक को 15,000 रुपये

इसके अलावा, अध्यक्ष तथा सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए वास्तविक वाहन प्रभारों का भुगतान किया जाएगा।

6. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समिति को मंत्रालीय एवं सचिवीय सहायता प्रदान की जाएगी।

7. नियमानुसार यात्रा/दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd April, 2000

No. 1/2/98-Admn. IV(PG).—It has been decided to constitute an Expert Committee to review the laws, rules and regulations administered by the Ministry of Information and Broadcasting. The Committee will consist of:

(1)	Shri P. M. Bakshi, Retired Member Secretary of Law Commission	Chairman
(2)	Shri I. Ramamohan Rao, former PIO	Member
(3)	Shri Arabinda Ghose, Senior Journalist and former Special Correspondent of Hindustan Times	Member
(4)	JS(F)/JS(B)/JS(P)*	Member
(5)	Director (Admn.)/ Deputy Secretary (Admn.)	Member-Secretary

* (Depending on the Law/Rule/Regulation being discussed, Joint Secretary concerned will attend).

2. The terms of reference of the Committee will be:

(i) To make study of the Information, Broadcasting and Film Sector in the country and evaluate their needs for existing Laws, Rules, Regulations to govern the Sector.

(ii) To specify the areas where legislation/ regulation is required and which are not covered by existing laws.

(iii) Make recommendations regarding proposed laws, rules and regulations in these areas alongwith their rationale.

(iv) Review existing laws in order to :

(a) Identify the obsolete provisions.

(b) Identify the provisions which need to be amended to suit the changing times.

(c) Make recommendations regarding proposed required amendments to the laws, rules and regulations.

3. The Committee should submit its report within six months from the date of its first meeting.

4. The Committee will hold its meeting in Delhi.

5. The lumpsum remuneration to be paid to the Chairman and Members is proposed as follows :

Chairman : Rs. 30,000

Non-Official Member : Rs. 15,000 each.

In addition, the Chairman and members will be given actual conveyance charges for attending the meetings.

6. Ministerial and secretarial assistance to this Commitee would be provided by the Ministry of Information & Broadcasting.

7. TA/DA as admissible as per rules will be paid.

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054